



UPSI180001792009

न्ययलय Civil Judge Junior Division, Mahmoodabad, Sitapur
पैठसीन अधिक्ारी- (Amit Singh). (उम्क न्यक्कि सेव) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/253/2009

Smt kiran devi Vs. Ramkumar and others

14.09.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते आ० नि० प्रतिस्थापन प्रा० पत्र 57क नियत है।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 57क-

वादिनी की ओर प्रा० पत्र 57क अं० आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी०, मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि दिनांक 19.05.2021 को प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार की मृत्यु हो गई है जिसके उत्तराधिकारी मृतक प्रतिवादी सं० 1 के दो पुत्रगण पृथ्वीपाल एवं छत्रपाल हैं जिन्हे प्रतिवादी सं० 1 के स्थान पर वाद में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। इस कारण उपरोक्त वर्णित वारिसान को मृतक प्रतिवादी रामकुमार के स्थान पर वाद में प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय। उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रा० पत्र 57क अं० आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 जा० दी० प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारियों के वाद में प्रतिस्थापन के बाबत प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त मृतक प्रतिवादी सं० 1 के स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों का वाद में प्रतिस्थापन वाद के गुण-दोष के निस्तारण हेतु आवश्यक है। प्रार्थना-पत्र औपचारिक प्रकृति का है। प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं है। तदनुसार प्रा० पत्र बाबत प्रतिस्थापन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रतिस्थापन 57क अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। वादिनी संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि० 27.09.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू० डि०)
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code-UP-2519

अजय /-